

प्रेषक,

राकेश धर दुबे,
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
पीलीभीत।

सेवा में,

श्रीमान रोहित अग्रवाल,
संयुक्त निबन्धक (न्यायिक)(बजट)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय : प्रापटी स्टेटमेंट प्रेषित करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. यह कि प्रार्थी प्रापटी स्टेटमेंट प्रेषित करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी है।
2. यह कि प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्ष 2020 में जनपद फतेहपुर से पीलीभीत में हुआ और स्थानान्तरण के समय कुछ प्रपत्र एवं दस्तावेज खो गये थे और मिल नहीं रहे थे।
3. यह कि याद्दाश्त डायरी में त्रुटिवश अग्रिम प्रापटी स्टेटमेंट भेजने का वर्ष गलती से वर्ष 2022 अंकित हो गया था।
4. यह कि माननीय उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 26.03.2022 प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा गहनतापूर्वक दस्तावेजों की खोज की गयी एवं जनपद न्यायालय फतेहपुर से मौखिकरूप से ज्ञात किया गया, तब प्रार्थी को त्रुटि ज्ञात हुई।
5. यह कि प्रापटी स्टेटमेंट समय से भेजने में जो गलती हुई है, वह उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हुई है तथा प्रार्थी द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की गयी है।
6. यह कि प्रापटी स्टेटमेंट का विवरण वर्ष 2019-2020 एवं वर्ष 2020-2021 माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ ससम्मान प्रेषित किया जा रहा है।

प्रार्थी पुनः प्रापटी स्टेटमेंट भेजने में हुए विलम्ब हेतु क्षमा प्रार्थी है। माननीय न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि प्रापटी स्टेटमेंट भेजने में हुए विलम्ब को उदारतापूर्वक क्षमा किया जाए।

दिनांक:29.03.2022

भवदीय,

(राकेश धर दुबे)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
पीलीभीत।